

(ग). सूचना बोर्ड को पारता क्षेत्र (दक्षिण एवं मध्य अफ़ग़ान) से लगाना होगा जिस के निम्न शपथ एवं इस सौमित्र के दार्शनिकता मार्ग हरेनि करेगा।

(घ). केवल 151/131 मपद पद आधारित समूही से ही सूचना बोर्ड को निर्माण किया जाया जायि।

(ङ). निविदा क्षेत्र को बोर्ड से जाने से-लिह अपना वाहन प्रयोग करना होगा।

(च). सूचना बोर्ड के निम्नलिखित समूही लिखा जाया जायि।

" अफ़ग़ान तथा निकोबार को समूह (अधिक पत्राचारिता का संरक्षण) विनिम्न 198 के अंतर्गत आदिवासी भारतीय क्षेत्र "

(छ). सूचना बोर्ड को आदेश प्राप्त होने से इस क्षेत्र के अंदर वनाया व स्थापित कर देगा होगा